

1

109

न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल ग्यातिवर छण्ड पीठ रोवा जिला रोवा
म ०००

702
26/10/12



श्री मान राजस्व मंडल
ग्यातिवर
26/10/12

1- ज्यश्री नि मश्रा

2- राज श्री मिना दोनो के पिता कालिन्दी प्रसाद मिना निवासी ग्राम
डेगरहट तह ० रामपुरबाघे ० जिला सतना म ००० द्वारा तरपक्षत में जनक ली
मिना पीठ श्री कालिन्दी प्रसाद मिना हा ००० दोनदयाल धाम कालोनी पडरा
रोवा जिला रोवा म ००० - - - - निगराकार गण

R. 23-11/13

बनाम
===

1. जयप्रकाश एसो ० ति ० जे ० ० नगर रावा जिला रोवा म ०००
2. कालिन्दी प्रसाद मिना तनयश्री त्रिवेणी प्रसाद मिना निवासी ग्राम डेगरहट
तह ० रामपुरबाघे ० जिला सतना म ०००
- 3- भाग्य श्री सुफला पत्नी श्री बिजय कुमार सुफला नि पता कालिन्दी प्रसाद मिना
निवासीग्राम डेगरहट तह ० रामपुरबाघे ० जिला सतना म ००० हा ००० जडडा
तह ० तेमी रया जिला रोवा म ००० - - - - गेर निगराकार गण

23-11/13

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म ००० भू ० रा ०
तं ० सन 1959 ई ० द्वितीय निगरानी बिस्व
आदेश अपर कलेक टर महोदय सतना प ० क ०

153 निग 0010- 011 आदेशाद 026-9 -2012
निरस्त किये जाने वावत ^अ एच अरवि नरसिंह कोट
का निवासी रामपुरबाघे जिला सतना - - -

मान्यवर:-

निगराकार गण निगरानी प्रस्तुत कर सा दर बिबई है कि:-

1:- यहीक उक्त निगरानी न्यायालय तहसीलदार तह ० रामपुरबाघे ० जिला सतना
के न्यायालय फूक ०३३ 6/10-011 पारित आदेशाद ० 15-11-2011 के बिस्व

=2= जनक लली मिश्रा


Handwritten signature/initials

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-823-II/13

जिला-सतना

जयश्री/जयप्रकाश एसो0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0के0 अहिरवार उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 153/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	